श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-16

क्रमांक एफ 3/2019-20/एलवीएस/शै./पीएच.डी/ 1108 दिनांक 21.12.2021

कार्यालय आदेश

क्रमांक एफ 3/2019-20/एलवीएस/शै./पीएच.डी/290 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2016 एवं शैक्षणिक नियम परिचायिका में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम हेतु प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में सभी विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों को सूचित किया गया था कि उनके द्वारा निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है। प्राय यह पाया गया है कि कुछ शोध छात्रों द्वारा सम्बन्धित नियमों को पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण सम्बन्धित छात्रों की निजी पंजिकाओं को तैयार करने तथा उनका विवरण तैयार करने में शैक्षणिक विभाग को असुविधा होती है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में सभी विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे शैक्षणिक नियम-परिचायिका में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु निर्धारित सभी नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करने का कष्ट करें।

नियमो का अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग की अनुशंसा के आधार पर शोध छात्र का पंजीकरण निरस्त भी किया जा सकता है:-

1. प्रत्येक शोधच्छात्र को मूल शैक्षणिक अवधि (तीन वर्ष) में प्रतिमास न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अंकित करना अनिवार्य है। न्यूनतम उपस्थिति अवधि में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
2. शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु पंजीकृत शोध छात्रों को कम से कम मूल शैक्षणिक अवधि (तीन वर्ष) तथा अधिकतम अवधि छ: वर्ष होगी ।
3. प्रत्येक शोध छात्र को अपने शोध से सम्बन्धित अपनी त्रैमासिक प्रगति विवरण अपने मार्गनिर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं पीठ प्रमुख से संस्तुत करा कर शैक्षणिक विभाग में निर्धारित समय अवधि के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक शोध-छात्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित संगोष्ठियों तथा व्याख्यानों में उपस्थित होना अनिवार्य है। पीएच.डी. शोधार्थी को संदर्भित पत्रिका में कम से कम एक अपने विषय से संबंधित शोध पत्र ISSN नम्बर पत्रिका में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करना होगा तथा अपने शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो शोध पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें।
5. पंजीकृत शोध छात्रों को अपने-अपने पीठम् के अन्तर्गत शोध समीक्षा समिति के समक्ष वर्ष में दो बार उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यह शोध समीक्षा समिति विभाग के शोध छात्रों की शोध की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और विगत 06 मास के शोध कार्य की समीक्षा करेगी । विभागीय शोध समिति की समीक्षा रिपोर्ट के साथ छात्र का प्रगति विवरण आवश्यक कार्यवाही एवं कुलपति की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित किया जायेगा ।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जे.आर.एफ. प्राप्त शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पूण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। जे.आर.एफ शोध छात्रों को अपना निरन्तरता प्रमाण-पत्र, अद्ववार्षिक प्रगति विवरण तथा मकान किराया भत्ता से सम्बन्धित प्रपत्र अपने मार्गनिर्देशक विभागाध्यक्ष एवं पीठ प्रगुख के माध्यम से संस्तुत कराकर निर्धारित समय-अवधि में जमा करवाना अनिवार्य होगा ताकि सम्बन्धित प्रपत्रों को अग्रिम कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केनरा बैंक के पोर्टल यथा-सयम प्रेषित की जा सकें निर्धारित समय-अवधि में प्रपत्र प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित शोध छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।
7. सभी पंजीकृत शोध छात्रों को तीन वर्ष के सामान्य पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद समय की अपेक्षा में समयबृद्धि हेतु अपना प्रार्थना-पत्र शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष तथा पीठप्रमुख के माध्यम से संस्तुत कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु शैक्षणिक विभाग में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

8. पंजीकृत शोध छात्रों को सूचित किया जा सकता है कि वे अपनी पंजीकरण तिथि को संज्ञान में लेते हुये अपने शोध कार्य को निर्धारित समय-अवधि में पूर्ण करने का सुनिश्चित करें।

सभी शोध छात्रों को शैक्षणिक नियम-परिचायिका में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु निर्धारित सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बन्धित शोध छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

01. समस्त पीठम् प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
02. निदेशक आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासनं प्रकोष्ठ तथा कुलानुशासक
03. विभागाध्यक्ष, शोध विभाग
04. कुलपति के निजी सचिव
05. उप-कुलसचिव (परीक्षा/शैक्षणिक)
06. सिस्टम एडमिस्ट्रेटर, "कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अंकित करने हेतु प्रस्तुत ।"
07. कार्यालय आदेश पत्रावली

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

For upload on website
Sh. Sachin
21/12/202